भिक्षावृत्ति के कारणों एवं इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना

डॉ0 अमित मलिक
एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
डी0ए0वी0 कॉलेज, मुजफ्फरनगर, उ0प्र0

हेमलता सिंह
शोधार्थिनी,
मेरठ कॉलेज, मेरठ, उ0प्र0

सारांशिकाः अक्सर देखा जाता है कि लोग भिखारियों पर तरस खाकर उन्हें कपड़े और खाने की चीजें देते हैं। लेकिन, इसके ठीक उलट भिखारियों का मनोविज्ञान सिर्फ और सिर्फ पैसा बटोरना होता है। चाहे मंदिर–मस्जिद हो, स्टेशन या लालबत्ती चौराहा। पैसे के अलावा और कुछ लेना भिखारियों को मंजूर नहीं होता। दरअसल, भिक्षावृत्ति कुछ ही लोगों के लिए मजबूरी का सौदा है, बड़े पैमाने पर यह एक धंधा बन चुका है। इसे शुरू करने के लिए न तो किसी पूंजी की जरूरत है और न शारीरिक श्रम की। यही वजह है कि देश में भिखारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट बताती है कि देश में तीन लाख बहत्तर हजार भिखारी थे, जिनमें से 21 फीसद यानी 78 हजार भिखारी शिक्षित थे।

मुख्य शब्दः भिक्षावृत्ति, बेरोजगारी, गरीबी, भिक्षावृत्ति निषेध कानून।

प्रस्तावना

शिक्षित भिखारियों में से कई के पास प्रोफेशनल डिग्री थी। जनगणना रिपोर्ट में उक्त आंकड़े कोई रोजगार न करने वाले और उनका शैक्षिक स्तर शीर्षक तले जारी की गई। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में भिखारियों की संख्या कहीं ज्यादा है। शहरी इलाकों में भीख मांगने वालों की संख्या एक लाख पैंतीस हजार है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह संख्या दो लाख सैंतीस हजार है। देश में भिखारियों की तादाद को लेकर यह सिर्फ एक पक्ष है। पिछले दिनों केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि देश में भिखारियों की संख्या चार लाख तेरह हजार छह सौ सत्तर है, जिनमें पुरुषों की संख्या दो लाख बीस हजार और महिलाओं की संख्या एक लाख इक्यानबे हजार है। जाहिर है, तमाम प्रयासों के बावजूद भिखारियों की वास्तविक संख्या को लेकर भ्रम की स्थिति अब भी बरकरार है।

सरकार की ओर से राज्यसभा में दिए गए लिखित जवाब को आधार बनाते हुए राज्यवार आंकड़ों पर नजर डालें, तो सबसे ज्यादा भिखारी पश्चिम बंगाल में हैं। देश के बाईस राज्य और केंद्रशासित शासित प्रदेश भिक्षावृत्ति के खिलाफ कानून बना चुके हैं। उत्तर प्रदेश में म्युनिसिपेल्टी एक्ट भिक्षावृत्ति का निषेध करता है। जबकि पंजाब–हरियाणा में भिक्षावृत्ति निरोधक अधिनियम 1971 लागू है। मध्य प्रदेश में 1969–1973, मुंबई में 1945, पश्चिम बंगाल में 1943 में बने कानून लागू हैं। इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 भी कहती है कि जो व्यक्ति भीख मांगने के लिए अनुचित प्रदर्शन करते पाए जाएंगे, वे दंड के भागी होंगे। भारतीय रेलवे अधिनियम भी भिक्षावृत्ति का निषेध करता है।

भिखारियों में बच्चों की तादाद भी अच्छी–खासी है। हालांकि, इस बाबत कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार, देश के विभिन्न हिस्सों में तकरीबन दो लाख से ज्यादा बच्चे भिक्षावृत्ति से जुड़े हैं। कोई पारंपरिक रूप से भिक्षावृत्ति कर रहा है, कोई मजबूरी के चलते। वहीं बड़ी संख्या में बच्चे संगठित गिरोहों का शिकार हैं, जो उन्हें डरा–धमका कर, अंग–भंग करके उनसे भिक्षावृत्ति करा रहे हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग–(एनसीपीसीआर) बच्चों से भिक्षावृत्ति कराने की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए राजधानी दिल्ली से एक देशव्यापी मुहिम शुरू करने जा रहा है।

गौरतलब है कि संशोधित किशोर न्याय कानून–2015 में बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ सख्त प्रावधान किए गए हैं। आयोग के सदस्य यशवंत जैन कहते हैं कि बाल भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए संशोधित कानून का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है। संशोधित कानून की धारा 76 के तहत बाल भिक्षावृत्ति के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को पांच साल की कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा भुगतनी पड़ सकती है। बच्चों का अंग–भंग करके उनसे भिक्षावृत्ति कराने के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को सात से दस साल की कैद और एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। बाल भिक्षावृत्ति एक राष्ट्रीय समस्या है, लेकिन शहरों में इसे पेशेवर ढंग से अंजाम दिया जा रहा है। आयोग चिल्ड्रेन हेल्पलाइन, गैर सरकारी संगठनों और प्रशासन के साथ मिलकर बाल भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास करेगा। मुहिम के तहत न सिर्फ बच्चों को भिक्षावृत्ति के दलदल से निकाला जाएगा, बल्कि उनके पुनर्वास की भी योजना है।

विभिन्न शिक्षाशास्त्रियों–समाजशास्त्रियों का मत है कि भिक्षावृत्ति की समस्या के मूल में सबसे बड़ी वजह गरीबी और बेरोजगारी है। शिक्षित भिखारियों की भारी–भरकम संख्या इसकी गवाह है। यानी अर्द्धबेरोजगारी और अपर्याप्त मेहनताने ने भी लोगों को भीख मांगने के लिए मजबूर कर रखा है। कई महानगरों में पढ़े–लिखे लोग भीख मांगते पकड़े गए हैं।

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई डांस बार प्रकरण की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि सड़क पर भीख मांगने से डांस करके पैसे कमाना कहीं ज्यादा बेहतर है। यानी भिक्षावृत्ति निस्संदेह एक शर्मनाक पेशा है, जो देश की छवि खराब कर रहा है। गरीबी–बेरोजगारी इसकी एक वजह तो है, लेकिन उसके साथ–साथ लोगों के नाकारेपन, आलस्य और कामचोरी की प्रवृत्ति से भी भिक्षावृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि देश को भिखारी–बेरोजगारी मुक्त बनाया जाए। भिखारियों का पुनर्वास हो, उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए और भिक्षावृत्ति निरोधक

विभिन्न कानूनों का सख्ती से पालन हो। लेकिन, यह सब सिर्फ सरकार–प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, आमजन को भी भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देने से स्वयं को रोकना होगा। दया भावना स्वस्थ मानवीय गुण हैं, लेकिन अति उदारता कभी–कभी समस्याएं उत्पन्न कर देती है। यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. भिक्षावृत्ति के बढ़ने मे जिम्मेदार कारण
2. भिक्षावृत्ति के प्रभावों का अध्ययन

भिक्षुक कौन

- भिक्षावृत्ति करने वालों में पहली श्रेणी उन लोगों की है जो गंभीर शारीरिक अस्वस्थता, असाध्य रोगों, विकलांगता के साथ ही गरीबी से पीड़ित हैं और जीवित रहने के लिए उनके पास कोई और साधन नहीं है।
- दूसरी श्रेणी में वे बूढ़े और असहाय लोग हैं, जिन्हें परिवारों से जबरन निष्कासित कर दिया गया है।
- तीसरी श्रेणी में ऐसे बेरोजगार शामिल हैं, जो पूरी तरह निराश हो चुके हैं और जिनके पास आय का कोई अन्य साधन नहीं है।
- चौथी श्रेणी में भिक्षावृत्ति करने वाले ऐसे भी लोग हैं, जिन्होंने इसे अपना धंधा बना रखा है और बिना कुछ किए, इसे ही अपनी कमाई का साधन मानते हैं।
- पाँचवी श्रेणी में ठगी करके, पैसा इकठ्ठा करने की कोशिश करने वाले लोग हैं।
- छठी श्रेणी में असामाजिक तत्वों के चंगुल में फंसे ऐसे लोग हैं, जिनसे अलग–अलग स्थानों पर, नियोजित ढंग से भीख मंगवाई जाती है और अपराधी तत्व, उस भीख का बहुत थोड़ा हिस्सा, उन भीख मांगने वालों को दे देते हैं।

जीने का अधिकार बनाम भिक्षावृत्तिः –

जीविकोपार्जन का अधिकारः अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य का यह कर्त्तव्य है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को आश्रय की सुविधा, भोजन का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार प्रदान करे। यद्यपि कार्य करने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में घोषित नहीं किया गया है लेकिन यह राज्य का पुनीत कर्त्तव्य है कि वह जनकल्याण के लिए समाज के गरीब, कमजोर वर्गों, दलित तथा जनजातियों को आजीविका का पर्याप्त संसाधन प्रदान करें तथा उनके बीच संसाधनों का न्यायिक वितरण सुनिश्चित करें।

आश्रय का अधिकारः राज्य का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक दलित और आदिवासी को आश्रय की सुविधा प्रदान करे।

बढ़ती भिक्षावृत्ति के कारणः –

- गरीबीः पिछले कुछ दशकों में गरीबी के स्तर में गिरावट तो हुई है, लेकिन अमीर व गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। 37.2 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, साथ ही विश्व के 1/3 (एक तिहाई) गरीब लोगों की आबादी भारत में है।
- मानव–तस्करीः मानव तस्करी भी देश में बड़े स्तर पर फैली हुई है, जो बलात श्रम करवाने और भीख मँगवाने के लिए की जाती है।
- बेरोजगारीः भारत में मुख्यतः संरचनात्मक बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, चक्रीय तथा छिपी हुई बेरोजगारी पायी जाती है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की रिपोर्ट के अनुसार 2011–12 से लेकर वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान पुरुष कार्यबल में कमी देखी गयी है।
- प्राकृतिक आपदाएंरू कई बार अकाल, सूखा तथा बाढ़ के कारण भी कुछ लोग भीख माँगने पर मजबूर हो जाते हैं।
- अशिक्षाः देश में अभी भी सभी लोगों तक शिक्षा नहीं पहुँच पाने के कारण लोगों को अनेक घृणित कार्य करने पड़ते हैं। वर्तमान समय में भी भारत की लगभग 74 प्रतिशत जनसंख्या शिक्षित है, बाकी (लगभग 26 प्रतिशत) लोग अशिक्षित हैं, यह भी एक कारण है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में भिक्षावृत्ति की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है।
- अन्य कारणः भिक्षावृत्ति शुरू करने हेतु न तो किसी पूंजी और न ही किसी श्रम की आवश्यकता होती है। कुछ लोग काम के प्रति अनिच्छा और अलगाव की ओर झुकाव के कारण भी भीख माँगते हैं।

भिक्षावृत्ति के प्रभावः –

सामाजिक प्रभावः समाज में बढ़ती भिक्षावृत्ति का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता जा रहा है। बड़े पैमाने पर भिक्षावृत्ति धंधा बन चुकी है, जिसके अन्तर्गत समाज में अनेक बुराईयाँ जन्म ले रही हैं जैसे–शिक्षित भिखारियों की बढ़ती संख्या, साथ ही भिखारियों में बच्चों की तादाद भी अच्छी खासी है। बड़ी संख्या में बच्चे संगठित गिरोह का शिकार हो रहे हैं, जो उन्हें डरा–धमका कर तथा उनका अंग–भंग करके उनसे भिक्षावृत्ति करवा रहे हैं। इसके कारण बच्चों के शोषण व अपहरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है जिससे समाज में अनेक अपराध जन्म ले रहे हैं जैसे कि– मानव तस्करी, बाल अपराध तथा यौन शोषण आदि। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, हर साल जिन बच्चों का अपहरण किया जाता है, उन्हें भीख माँगने के अलावा कारखानों में अवैध बाल मजदूरी, घरों व दफ्रतरों में नौकर, पॉर्न उद्योग, वैश्यावृत्ति, अंग बेचने वाले माफियाँ और जबरन बाल विवाह के जाल में फँसाया जाता है। इसके अलावा कुछ बच्चे आपराधिक गतिविधियों जैसे– ड्रग्स, हत्या और लूट में भी संलिप्त हो जाते हैं।

आर्थिक प्रभावः वर्तमान समय में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो यह विश्व में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसके बावजूद भारत में एक बड़ा मानवपूँजी भारत के विकास का हिस्सा नहीं बन पा रहा है। भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही अनेक योजनाएँ भी उचित रूप से क्रियान्वित नहीं हो पा रही हैं। इन योजनाओं में खर्च तो बराबर हो रहा है परन्तु इनका लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है, जो हमारे देश के विकास में बाधा उत्पन्न करता

है। भिक्षावृत्ति के कारण देश के पर्यटन पर भी गलत प्रभाव पड़ता है।

मनोवैज्ञानिक प्रभावः भीख माँगने वाले लोग आमतौर पर गरीबी, बेरोजगारी, बेघर, अशिक्षा और कई सामाजिक बुराईयों जैसे–अपराध, नशा व तस्करी से जुड़े रहते हैं, जिसके कारण वे शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग और बहुत से रोगों (कुष्ठ, मिर्गी, त्वचा) से पीड़ित होते हैं। उनमें मानसिक तौर पर अलगाव तथा कुण्ठा की भावना घर कर जाती है। महिलाएँ भी अश्लीलता, अनुचित शब्द, यौन शोषण तथा उत्पीड़न का शिकार होती हैं। इनके बच्चों का भी शारीरिक व मानसिक विकास नहीं हो पाता है और वे कुपोषण, अशिक्षा तथा अनेक रोगों (कम लम्बाई, वजन में कमी तथा मानसिक विकार) से पीड़ित होते हैं।

उपसंहारः –

भिक्षावृत्ति को खत्म करके भारत की विश्व रिपोर्टों में जो स्थिति है उसमें भी सुधार किया जा सकता है, जैसे–ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जीवन प्रत्याशा और शिशु मृत्यु दर इत्यादि। इससे भारत के सामाजिक, आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।रोजगारों की संख्या बढ़ाकर, लोगों को उनके कौशल के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाये।भिखारियों का पुनर्वास हो साथ ही उन्हें रोजगार से जोड़ा जाना चाहिए।भिक्षावृत्ति निरोधक कानूनों का सख्ती से पालन होना चाहिए।सरकार–प्रशासन के साथ–साथ आमजन को भी भिक्षावृत्ति को बढ़ने से रोकना होगा। गरीबी उन्मूलन हेतु सरकारी योजनाओं (पीडीएस, मनरेगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना) आदि का क्रियान्वयन उचित तरीके से होना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों को सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए।वृद्ध लोगों के लिए वृद्धाश्रम व्यवस्था सही तरीके से हो और वृद्धावस्था पेंशन योजना तक सभी वृद्ध लोगों की पहुँच सुनिश्चित करना चाहिए।राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की कुछ योजनाओं के जरिए भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों का पालन पोषण किया जा रहा है। इनमें पालनहार योजना, निराश्रित बाल गृह, शिशु गृह योजना और पालन गृह योजना आदि शामिल हैं। इस तरह की योजनाओं को विभिन्न राज्य सरकारों को अपनाने की जरूरत है।बॉम्बे प्रिवेंशन बेगिंग एक्ट पूरी तरह से लोगों की परेशानी को दूर करने में नाकाम रहा है। यह एक्ट भीख मँगवाने वाले गिरोहों को रोकने में असफल रहा है इसलिए इस पर केन्द्रीय कानून की आवश्यकता है, जो गरीब लोगों तथा भीख माँगने वाले लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करे और उन्हें इस अंधकार से मुक्त कराये। सामाजिक–आर्थिक विश्लेषण के आधार पर एक केंद्रीय कानून बनाया जाना चाहिये। इस संदर्भ में 2016 में केंद्र सरकार ने पहला प्रयास जीम च्मतेवदे पद क्मेजपजनजपवद ;च्तवजमबजपवद, ब्तम, त्मींइपसपजंजपवदद्ध डवकमस ठपसस, 2016' लाकर किया था। इस पर फिर से काम किये जाने की आवश्यकता है।बिहार सरकार की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना ;ठीपीींअतपजप छपअंतंद ल्वरंदंद्ध एक अनुकरणीय योजना है।इस योजना के अंतर्गत व्यक्तियों को हिरासत में लेने की जगह उन्हें सामुदायिक घरों में रखने की व्यवस्था है।इसके अंतर्गत पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसमें उपचार, पारिवारिक सुदृढीकरण और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध हैं।संगठित तौर पर चलने वाले भिक्षावृत्ति रैकेट्स को मानव तस्करी और अपहरण जैसे अपराधों के साथ जोड़ कर देखा जाना चाहिये।

सन्दर्भः

1. एडेडिबूएए और जेली ली एम ओ (2011) नाइजीरिया में सड़क पर भीख मांगने और भिखारियो के पुनर्वास और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को नियंत्रित करने के लिए पैकेजः नीति पर विचार के लिए पेपर। सड़क पर भिखारियों की वैश्विक श्रेणियां और सड़क पर भीख मांगने को प्रभावित करने वाले कारक। जर्नल ऑफ़ ह्यूमन सोशल साइंस 11(1), 17–24.
2. एंडरसन एन (1961) दहोबोः द सोशियोलॉजी ऑफ द होमलेस मैन। फीनिक्सबुक्स, द शिकागो एंड लंदन : यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस।
3. आजाद इंडिया फाउंडेशन (2010) बेगरी इन इंडिया। ऽंकपदकपं.वतह
4. कार्टरटी (1998) पैनहैंडलिंग : क्या नगर पालिका के उप–नियम प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करते हैं? विन्निपेग के शहर कोएंटी–पैनहैंडलिंग बाय–लॉको राष्ट्रीय गरीबी–विरोधी संगठन कानूनी चुनौती के लिए तैयार की गई रिपोर्ट। कार्टर द्वारा उद्धृत, टी. (2007)। विन्निपेग में पैनहैंडलिंगः लेजिस्लेशन बनाम सपोर्ट सर्विसेज। जनहित कानून केंद्र, विन्निपेग विश्वविद्यालय, 3–14 के लिए एक अध्ययन।
5. कार्टरटी (2007) विन्निपेग में पैन हैंडलिंगः लेजिस्लेशन बनाम सपोर्ट सर्विसेज। जनहित कानून केंद्र के लिए एक अध्ययन, विन्निपेग विश्वविद्यालय, 1–3।
6. संकट (2003) भीख मांगना और असामाजिक व्यवहारः श्वेत पत्र सम्मान और जिम्मेदारी के लिए संकट की प्रतिक्रिया – असामाजिक व्यवहार के खिलाफ एक स्टैंड लेना। पीपी. 1–9. 1 सितंबर, 2009 को http:@@www-crisis-org-uk@ data@ files@ publications@AntiSoc&response%5B1%5D-pdf से प्राप्त किया गया
7. डेमेवोजू डब्ल्यू (2003) एक जीवन रक्षा रणनीति के रूप में भीख माँगनाः अदीस अबाबा में रूढ़िवादी धार्मिक समारोह के दिनों में गरीबों के साथ सम्मेलन।सोशल एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री के लिए आवश्यकताओं की आंशिक पूर्ति में, स्कूल ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज, अदीस अबाबा विश्वविद्यालय को प्रस्तुत एक अप्रकाशित थी सिस।